[redacted]

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः **A.C.B O.P. Alwar-1st** थानाः **C.P.S, A.C.B. Jaipur** वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं. 22/22 दिनांक 27/1/22,

2.–(1) अधिनियमः भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा 7
(2) अधिनियमः भारतीय दण्ड संहिता धारा........ 120 बी
(3) अधिनियम.............................. धारायें..............................
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 636 समय 5:00 pm
(ब) अपराध के घटने का दिनः मंगलवार, दिनांक 25/01/2022, समय 4.00 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 24/01/2022, समय 3.00 पी.एम.

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः करीब 85 किमी., ए.सी.बी., चौकी अलवर से
(ब) पताः– खेडली, जिला अलवर बीट संख्या .... जरायमदेही सं........
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना ....जिला..........

6.– परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ)नाम :– श्री राहुल यादव
(ब)पिता का नाम :– श्री बचन सिंह
(स)जन्म तिथि :– उम्र 31 वर्ष
(द)राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य)पासपोर्ट संख्या......................जारी होने की तिथि....................जारी होने की जगह
(र)व्यवसायः–
(ल)पताः– ग्राम सहजपुरा, पुलिस थाना खेडली, तहसील कठूमर, जिला अलवर (राज.)

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री केशव देव जाटव पुत्र श्री रामसिंह जाटव, उम्र 31 साल निवासी बडा मौहल्ला भुसावर, तहसील व थाना– भुसावर जिला भरतपुर हाल तकनिकी सहायक, ग्रेड द्वितीय फीडर प्रभारी खेडली, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर।**
2. **श्री प्रमोद कुमार बैरवा पुत्र श्री कपूर चन्द बैरवा, उम्र 35 साल, निवासी वार्ड नं. 19, खेडली–कठुमर बाईपास, खेडली तहसील व थाना खेडली जिला अलवर हाल तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय (सहायक स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर।**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....
9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–
10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः– 4500/–रूपयें ट्रेप राशि
11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..
12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 24.01.2022 को समय 03.00 पी0एम0 पर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचर निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम, अलवर पर परिवादी श्री राहुल यादव पुत्र श्री बचन सिंह यादव, निवासी सहजपुरा, पोस्ट खेडली, तहसील कठूमर, जिला अलवर मय अपने ताऊ के लडके श्री नरेश यादव पुत्र श्री जगदीश यादव, निवासी सहजपुरा, पोस्ट खेडली, तहसील कठूमर, जिला अलवर के उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर को पेश की। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके सामने बैठे हुये परिवादी श्री राहुल यादव एवं उसके ताऊ श्री नरेश यादव से परिचय करवाते हुये परिवादी श्री राहुल यादव द्वारा ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री राहुल यादव को व उसके भाई नरेश यादव को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी श्री राहुल यादव पुत्र श्री बचन सिंह यादव, निवासी सहजपुरा, पोस्ट खेडली, तहसील कठूमर, जिला अलवर द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि " सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्ष्क, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर विषयः– खेरली बिजली विभाग मे तैनात AEN हिम्मत सिंह परिहार एवं लाईनमैन प्रमोद व केशव को रिश्वत लेते हुए पकडवाने बाबत। महोदयः– निवेदन है कि मै राहुल यादव पुत्र श्री बचनसिंह यादव, निवासी सहजपुरा, तह. कठूमर,जिला अलवर का रहने वाला हूँ। हमारे घर पर मेरे पिताजी बचन सिंह यादव के नाम से करीब 1 वर्ष पूर्व विधुत का घरेलू कनेक्शन करवा रखा है। जिसके मीटर नं0 10372864 है। हमारे उक्त कनेक्शन का

[redacted]

बिजली विभाग खेडली द्वारा आज तक कोई बिल जारी नही किया गया। जिसके सम्बन्ध में मैंने करीब 5–6 माह पूर्व हमारे उक्त कनेक्शन का बिल जारी करने हेतु AEN बिजली विभाग खेडली को उनके कार्यालय में प्रार्थना पत्र भी दे दिया था। किन्तु फिर भी AEN ने हमारा बिल जारी नही किया। दिनांक 18.01.2022 को बिजली विभाग खेडली का AEN श्री हिम्मत सिंह परिहार जो केशव लाईनमैंन व प्रमोद लाईनमैंन के साथ सुबह करीब 6 बजे हमारे घर पर आये और हमारे मीटर की व हमारे घर के पास टेपिंगपोल पर लगे तारों की फोटो केशव लाईनमैंन से उसके मोबाईल फोन में खिचवा ली, और मेरे से कहा कि आप बिजली की चोरी कर रहे हो। मैं आपकी VCR भरूंगा। यदि आप अपनी वीसीआर नही भरवाना चाहते हो तो केशव व प्रमोद लाईनमैंन से बात कर लो मैं आपकी वीसीआर नही भरूंगा और इसे रफा–दफा कर दूंगा। इसके बाद मैं और मेरे ताऊ का लडका नरेश यादव लाईनमैंन केशव व प्रमोद से मिले और हमारी VCR के बारे में बात की तो केशव व प्रमोद लाईनमैंन बिजली विभाग खेडली ने AEN हिम्मत परिहार व स्वयं के लिये हमारे से हमारी VCR को AEN से रफा–दफा करवाने की एवज में 5000 रू0 की रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं उक्त को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उक्त तीनों को रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक 24/01/2022 हस्ताक्षर/– प्रार्थी राहुल यादव S/o श्री बचन सिंह यादव, जति–अहीर, उम्र 31 साल, निवासी सहजपुरा, पोस्ट खेडली, तहसील कठूमर, जिला अलवर MOB No 6375346450, हस्ताक्षर 24.1.2022 नरेश यादव S/o श्री जगदीश यादव, गाँव–सहजपुरा, पोस्ट खेडली, तहसील कठूमर, जिला अलवर MOB 9653842930" परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। परिवादी राहुल परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री राहुल यादव ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि हमारे घर पर मेरे पिताजी बचन सिंह यादव के नाम से करीब 1 वर्ष पूर्व विधुत का घरेलू कनेक्शन करवा रखा है। जिसके मीटर नं0 10372864 है। हमारे उक्त कनेक्शन का बिजली विभाग खेडली द्वारा आज तक कोई बिल जारी नही किया गया। जिसके सम्बन्ध में मैंने करीब 5–6 माह पूर्व हमारे उक्त कनेक्शन का बिल जारी करने हेतु एईएन बिजली विभाग खेडली को उनके कार्यालय में प्रार्थना पत्र भी दे दिया था। किन्तु फिर भी एईएन ने हमारा बिल जारी नही किया। दिनांक 18.01.2022 को बिजली विभाग खेडली का एईएन श्री हिम्मत सिंह परिहार जो केशव लाईनमैंन व प्रमोद लाईनमैंन के साथ सुबह करीब 6 बजे हमारे घर पर आये और हमारे मीटर की व हमारे घर के पास टेपिंगपोल पर लगे तारों की फोटो केशव लाईनमैंन से उसके मोबाईल फोन में खिचवा ली, और मेरे से कहा कि आप बिजली की चोरी कर रहे हो। मैं आपकी वीसीआर भरूंगा। यदि आप अपनी वीसीआर नही भरवाना चाहते हो तो केशव व प्रमोद लाईनमैंन से बात कर लो मैं आपकी वीसीआर नही भरूंगा और इसे रफा–दफा कर दूंगा। इसके बाद मैं और मेरे ताउ का लडका नरेश यादव लाईनमैंन केशव व प्रमोद मिले और हमारी वीसीआर के बारे में बात की तो केशव व प्रमोद लाईनमैंन बिजली विभाग खेडली ने एईएन हिम्मत परिहार व स्वयं के लिये हमारे से हमारी वीसीआर को एईएन से रफा–दफा करवाने की एवज में 5000 रू0 की रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं उक्त को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उक्त तीनों को रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने एईएन श्री हिम्मत सिंह, लाईनमैंन श्री केशव व प्रमोद, बिजली विभाग, खेडली से कोई उधार लेन–देन बकाया नही होना और ना ही कोई रंजिश होना बताया। परिवादी श्री राहुल यादव ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा परिवादी ने यह भी बताया कि एईएन श्री हिम्मत सिंह परिहार सीधे किसी से रिश्वत की बातचीत नही करते है तथा वह केशव व प्रमोद लाईनमैंन के माध्यम से ही रिश्वत की बात करते है। श्री केशव लाईनमैंन व प्रमोद लाईनमैंन भी रिश्वत की मेरे से सीधी बात नही करते है, वे दोनों मेरे ताउ के लडके नरेश यादव से ही रिश्वत की बात करेगे, जो अभी मेरे साथ आया है। इस पर परिवादी के हमराह आये श्री नरेश यादव से उक्त बाबत पूछा गया तो श्री नरेश यादव ने परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद करते हुये उक्त कार्यवाही में परिवादी श्री राहुल यादव के साथ रहने तथा संदिग्ध आरोपीगण से रिश्वत की बातचीत करने की सहमति प्रदान करते हुये परिवादी श्री राहुल यादव द्वारा ब्यूरों में पेश प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये। दौराने पूछताछ परिवादीगण ने अपनी पहचान स्वरूप अपने–अपने आधार कार्ड की छायाप्रतियों पर अपने–अपने स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया, जिनको संलग्न पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाता है। अतः रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा।

दिनांक 24.01.2022 को समय 04.00 पीएम0 पर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी श्री राहुल यादव के समक्ष परिवादी के भाई श्री नरेश यादव को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी व परिवादी के भाई नरेश यादव के समक्ष श्री सियाराम कानि0 430 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी के भाई श्री नरेश यादव को हिदायत दी गई कि वह लाईनमैंन श्री केशव व श्री प्रमोद, जयपुर डिस्कॉम, खेडली, जिला अलवर के पास जाकर, दिनांक 18.01.2022 को एईएन बिजली विभाग खेडली द्वारा परिवादी के पिताजी श्री बचन सिंह की बिजली चोरी की वीसीआर नही भरने तथा उसको रफा–दफा करने के लिए मांगी जा रही रिश्वत राशि के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा संदिग्ध आरोपीगण से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर मन पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत करें। श्री सियाराम कानि0 430

[redacted]

को परिवादीगण के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देश कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के भाई नरेश यादव को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपीगण के पास भेजे तथा परिवादी के भाई नरेश यादव के साथ आसपास रहकर परिवादी के भाई नरेश यादव व संदिग्ध आरोपीगण को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। परिवादीगण व कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया।

दिनांक 24.01.2022 को समय 10.00 पी0एम0 पर श्री सियाराम कानि0 430 मय हमराह परिवादी श्री राहुल यादव व परिवादी के भाई श्री नरेश यादव के कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री सियाराम कानि0 430 ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परिवादी के भाई श्री नरेश यादव ने बताया कि मैं, राहुल यादव व श्री सियाराम कानि0 आपके कार्यालय से मेरी कार से रवाना होकर समय करीब 06.00 पी0एम0 पर कस्बा खेडली में स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के पास पहुंचे। जहां पर श्री सियाराम कानि0 ने अपने पास से ए0सी0बी0 का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर मेरे को दिया, जिसे मैं अपने साथ लेकर एईएन कार्यालय बिजली विभाग, खेडली में चला गया और श्री राहुल यादव व श्री सियाराम कानि0 बाहर ही रूक गये थे। मैं एईएन कार्यालय बिजली विभाग खेडली के अन्दर गया, तो श्री केशव लाईनमैंन मुझे एईएन कार्यालय के बाहर मौजूद मिला, जिससे मैंने प्रमोद लाईनमैंन के बारे में भी पूछा तो उसने उसको कही बहार जाना बताया। इसके बाद मैंने लाईनमैंन केशव से राहुल यादव के पिताजी श्री बचन सिंह के मकान की बिजली चोरी की वीसीआर नही भरने के सम्बन्ध में वार्ता की तो श्री केशव लाईनमैंन, एईएन को हमारी वीसीआर नही भरने देने की एवज में 5000 रू0 रिश्वत की मांग की तथा रिश्वत के पैसे जल्दी देने के लिये कहा, तब मैंने उसको एईएन से व प्रमोद लाईन मैंने से बात करने के लिये कहा तो उसने कहा कि आप तो पैसे जल्दी देवो एईएन साहब से तो मैं सब करवा दूंगा तथा प्रमोद अभी तो बाहर गया हुआ है तथा उससे आप बाद में बात कर लेना या फिर उसको मैं बता दूंगा। इस दौरान मैंने राहुल यादव के मोबाईल पर भी बात करके राहुल यादव को केशव लाईनमैंन द्वारा 5000 रू0 रिश्वत के मांगने के बारे में बताया तथा मैंने केशव लाईनमैंन को रिश्वत के पैसे कल दिनांक 25.01.2022 को सुबह देने के लिये कहा है। मेरे व संदिग्ध आरोपी लाईनमैंन श्री केशव, बिजली विभाग खेडली के मध्य आपस में हुई सभी बातों को मैंने, श्री सियाराम कानि0 द्वारा मुझे खेडली में दिये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैं श्री सियाराम कानि0 के पास आकर ए0सी0बी0 का डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री सियाराम कानि0 को दे दिया था, जिसे श्री सियाराम कानि0 ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद वहाँ से मैं, राहुल यादव, श्री सियाराम कानि0 के साथ आपके पास आ गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा सुपुर्द टेपरिकार्डर को चलाकर सुना, जिसमे परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई तथा रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया। तत्पश्चात उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा जाकर समय 11.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री राहुल यादव एवं परिवादी के भाई नरेश यादव को दिनांक 25.01.2022 को प्रातः 08.30 ए.एम.पर ए0सी0बी0 कार्यालय में आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000 रू0 लेकर उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत कर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया तथा श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस, ए0सी0बी0 चौकी अलवर द्वितीय अलवर सहित ब्यूरों चौकी अलवर द्वितीय अलवर से श्री लल्लूराम कानि0 एवं रामजीत कानि0 को कार्यवाही में ईमदाद हेतु दिनांक 25.01.2022 को प्रातः 09.30 ए.एम.पर ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित होने हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए0सी0बी0 अलवर को अवगत करवाया गया तथा साथ ही चौकी स्टॉफ को भी दिनांक 25.01.2022 को समय 08.30 ए.एम.पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु सूचित करने हेतु पाबन्द किया गया।

दिनांक 25.01.2022 को समय 08.45 ए.एम. पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री राहुल यादव मय अपने भाई नरेश यादव के ए0सी0बी0 कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन पुलिस निरीक्षक को अपने साथ आरोपी श्री केशव, लाईनमैंन, बिजली विभाग, खेडली, जिला अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000 रू0 अपने साथ लेकर आना बताया। तत्पश्चात दोनों परिवादीगणों ने बताया कि हमने प्रमोद लाईनमैंन बिजली विभाग, खेडली का मालुम किया तो कल उसकी साली का स्वर्गवास हो जाने के कारण वह उसके ससुराल चला गया था तथा आज वह दोपहर तक अपने कार्यालय में आ जायेगा। इसलिए आज हम केशव लाईनमैंन को रिश्वत देने से पूर्व प्रमोद लाईनमैंन से हमारी वीसीआर व उनके द्वारा हमारे से मांगी जा रही रिश्वत के बारे में वार्ता कर प्रमोद लाईनमैंन के सामने ही केशव लाईनमैंन को रिश्वत राशि देंगे। अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की अवश्यकता होने के कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर से दो सरकारी कर्मचारी बतौर स्वतन्त्र गवाह तलब किये जाने पर समय 09.40 ए.एम.पर_जिला परिषद, अलवर से श्री बृजेश कुमार पटेल, सहायक विकास अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, सहायक विकास अधिकारी कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका समय 09.45 ए.एम.पर पूर्व से कार्यालय में मौजूद परिवादीगण श्री राहुल यादव व श्री नरेश यादव से आपसी परिचय करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री राहुल यादव द्वारा दिनांक 24.01.2022 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस

पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री राहुल यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

दिनांक 25.01.2022 को समय 09.55 ए.एम.दोनो गवाह श्री बृजेश कुमार पटेल, सहायक विकास अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, सहायक विकास अधिकारी एवं परिवादी श्री राहुल यादव व परिवादी के भाई श्री नरेश यादव के समक्ष परिवादी के भाई श्री नरेश यादव एवं संदिग्ध आरोपी श्री केशव, लाईनमैंन, बिजली विभाग, खेडली, जिला अलवर के मध्य दिनांक 24.01.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रीप्ट एवं तीन सी.डी. तैयार की गई। तैयार की गई तीनों सीडीयों पर मार्क "ए–1", मार्क "ए–2" एवं मार्क "ए–3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री राहुल यादव व परिवादी के भाई श्री नरेश यादव के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क "ए–1" व मार्क "ए–2" को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "ए–1" व मार्क "ए–2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादीगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क "ए–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। सिल्डशुदा सीडी मार्क ए–1, ए–2 को जमा चौकी मालखाना करवाया गया।

दिनांक 25.01.2022 समय 11.45 ए.एम.पर दोनो गवाहन श्री बृजेश कुमार पटेल, सहायक विकास अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, सहायक विकास अधिकारी के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री राहुल यादव को संदिग्ध आरोपी श्री केशव, लाईनमैंन, बिजली विभाग, खेडली, जिला अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री राहुल यादव ने अपने पास से 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/–रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर को पेश किये। जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अंकित किया गया। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 5,000/– रूपये के नोटों को रखकर उक्त नोटों पर श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री राहुल यादव की जामा तलाशी गवाह श्री बृजेश कुमार पटेल से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 5,000/– रूपये को श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से परिवादी श्री राहुल यादव की पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी साईड की जेब में रखवाया गया। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। परिवादीगण एवं गवाहान के समक्ष सोडियम कार्बोनेट एवं फिनॉल्फ्थलीन पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया करवाकर प्रदर्शित की जाकर उसकी उपयोगिता एवं महत्त्व के बारे मे समझाईश की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री राहुल यादव को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादीगण, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। वक्त लेन–देन के समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मैंक सोनी को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री राहुल यादव को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात समय 12.20 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री बृजेश कुमार पटेल, श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस, ए0सी0बी0 जाप्ता सर्वश्री भौरे लाल हैड कानि0 33, लल्लूराम कानि0 487, रामजीत कानि0, श्री हरिश चन्द शर्मा कानि0 503 एवं श्री महेश कुमार कानि0 462 मय विभागीय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप मय प्रिन्टर व आवश्यक स्टेशनरी सामान के दो प्राईवेट वाहनों से तथा परिवादीगण श्री राहुल यादव, श्री नरेश यादव एवं श्री सियाराम कानि0 430 को परिवादीगण की कार में बैठाकर हमराह लेकर वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब खेडली, जिला अलवर के लिये रवाना हुआ तथा श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 को कार्यालय में ही छोड़ा गया।

दिनांक 25.01.2022 को समय 03.10 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीगण के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा समय 03.10 पी0एम0 पर कस्बा खेडली स्थित अहिंसा सर्किल पर पहुंचा, जहॉ पर परिवादी के भाई श्री नरेश यादव ने ईशारा कर मन पुलिस निरीक्षक को रूकवाकर दोनों गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को अपने मोबाईल पर श्री प्रमोद लाईनमैंन बिजली विभाग खेडली के मोबाईल नं0 9694977241 से मिसकॉल आने के बारे में बताया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने हमराह ले गये वाहनों को साईड में रूकवाया तथा परिवादी के

भाई श्री नरेश यादव को प्रमोद लाईनमैन से वार्ता करने के लिये कहा तो श्री नरेश यादव ने परिवादी राहुल के मोबाईल नं0 6375346450 से प्रमोद लाईनमैन बिजली विभाग खेडली के मोबाईल नं0 9694977241 पर कॉल कर दोनों गवाहान के समक्ष श्री नरेश यादव ने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर श्री प्रमोद लाईनमैन से मोबाईल पर वार्ता की तो श्री प्रमोद लाईनमैन बिजली विभाग खेडली ने अपने ऑफिस में ही होना तथा परिवादीगण नरेश यादव व राहुल यादव को रिश्वत की राशि लेकर तुरन्त उसके ऑफिस में आने के लिये कहा। उक्त मोबाईल वार्ता को परिवादी राहुल यादव के पास मौजूद विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के तीनों वाहनों से रवाना होकर समय 03.35 पी0एम0 पर कस्बा खेडली में बस स्टेण्ड के पास स्थित बिजली विभाग के ऑफिस के नजदीक पहुंचा, जहाँ पर तीनों वाहनों को भीड–भाड वाली जगह पर साईड में खड़ा करवाकर श्री सियाराम कानि0 430 से परिवादीगण के पास मौजूद विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करवाकर श्री नरेश यादव को दिया गया तथा श्री सियाराम कानि0 को परिवादीगण के वाहन से उतार कर परिवादी श्री राहुल यादव व श्री नरेश यादव को रिश्वत राशि देने हेतु संदिग्ध आरोपीगण के पास बिजली विभाग के कार्यालय में जाने के लिये कार से रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के दोनों वाहनों से परिवादीगण की कार के पीछे–पीछे रवाना हुआ। परिवादीगण बिजली विभाग खेडली के कार्यालय के सामने अपनी कार को रोड पर खडी कर उसमें से उतरकर दोनों परिवादी बिजली विभाग के ऑफिस के अन्दर चले गये तथा मन पुलिस निरीक्षक दोनों वाहनों को भीड–भाड वाली जगह पर साईड में खडा करवाकर मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ए0सी0बी0 के कार्यालय बिजली विभाग खेडली के आस–पास मौका अनुसार अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खड़े होकर परिवादी पर नजर रखते हुये परिवादी के मुर्कर ईशारे का इंतजार करने लगे। इस दौरान कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, खेडली के सामने विपरित दिशा में स्थित श्री कृष्णा ऑफसैट प्रिन्टर्स की दुकान के सामने एक सेन्ट्रो कार आरजे–02–सीए–6511 आकर रूकी, जिसमें ड्राईवर सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। इसके कुछ ही समय बाद दोनों परिवादीगण एक व्यक्ति के साथ कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम खेडली से बाहर निकलकर उक्त कार के पास आये तथा परिवादीगण के साथ आया व्यक्ति उक्त सेन्ट्रो कार की पीछे की सीट पर बैठ गया तथा उक्त व्यक्ति व कार की ड्राईवर सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति परिवादीगण से आपस में वार्ता करने लग गये।

दिनांक 25.01.2022 को समय 04.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री राहुल यादव पुत्र श्री बचन सिंह यादव, निवासी सहजपुरा, पुलिस थाना खेडली, जिला अलवर ने कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर के सामने स्थित दुकान श्री कृष्णा ऑफसैट प्रिन्टर्स खेडली के सामने खडी एक सैन्ट्रो कार के पास से अपने भाई श्री नरेश यादव के साथ कुछ दूरी पर साईड मे आकर समय 04.00 पी.एम. पर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् निरीक्षक, उपरोक्त दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम को हमराह लेकर परिवादी के पास पहुंचा और उससे कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त करके उसे बंद कर अपने कब्जे लिया। परिवादी श्री राहुल यादव ने मन् पुलिस निरीक्षक को उक्त सैन्ट्रो कार नं. आर जे 02 सी ए 6511 की तरफ ईशारा कर ड्राईवर सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को श्री केशव देव, लाईनमैन होना तथा उक्त गाडी मे पीछे की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को श्री प्रमोद कुमार लाईनमैन होना बताते हुए बताया कि अभी उक्त कार मे पीछे की सीट पर बैठे हुए श्री प्रमोद कुमार लाईनमैन ने मेरे भाई नरेश यादव से कहा कि पैसे चुपचाप केशव देव, लाईनमैन को दे दो। इस पर मैने अपने पास रखी हुई पाऊडर युक्त रिश्वत राशि 5,000 रूपये अपनी जेब से निकाल कर केशव देव, लाईनमैन को देने के लिये मेरे भाई श्री नरेश यादव को दी तो उसने उक्त राशि श्री केशवदेव लाईनमैन को दे दी जो उसने अपने बांये हाथ मे लेकर उन नोटो को गिनने लगा तब मेरे भाई नरेश यादव ने उनको कहा कि आपने सब लोगो की तो चार हजार रूपये के हिसाब से सैटलमैन्ट किया है। इस पर प्रमोद कुमार लाईनमैन ने केशव देव, लाईनमैन से 500 रूपये वापस देने के लिये कहा जिस पर केशवदेव लाईनमैन ने एक नोट 500 रूपये का मेरे भाई नरेश यादव को वापस लौटा दिया, जो अभी उसके पास ही है तथा शेष रिश्वत राशि 4500/– रू. को केशवदेव लाईनमैन अपने हाथो से उक्त कार मे ड्राईवर सीट पर बैठा हुआ गिन रहा है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान, ब्यूरो टीम एवं परिवादीगण श्री राहुल यादव व श्री नरेश यादव को अपने साथ लेकर उक्त कार के पास पहुंचा तो उक्त कार मे दो व्यक्ति बैठे हुए मिले, जिनमे से ड्राईवर सीट पर बैठे हुए व्यक्ति के बांये हाथ मे 500–500 रूपये के नोट लिये हुए था, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमराहियान का परिचय दिया तो कार मे ड्राईवर सीट पर बैठे हुए व्यक्ति ने अपने बांये हाथ मे लिये हुए 500–500 रूपये के नोटो को अपनी उक्त कार की आगे की बांयी सीट पर डाल दिये और उक्त दोनो का चेहरा फीका पड गया। इस पर उक्त दोनो व्यक्ति कार से निकल कर बाहर आये तब ड्राईवर सीट पर बैठे हुए व्यक्ति ने अपने परिचय मे अपना नाम केशव देव, तकनिकी सहायक जाटव पुत्र श्री रामसिंह जाटव, उम्र 31 साल निवासी बडा मौहल्ला भुसावर, तहसील व थाना–भुसावर जिला भरतपुर हाल तकनिकी सहायक, ग्रेड द्वितीय फीडर प्रभारी खेडली, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर होना एवं पीछे की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति ने अपना नाम प्रमोद कुमार बैरवा पुत्र श्री कपूर चन्द बैरवा, उम्र 35 साल, निवासी वार्ड नं. 19, खेडली–

कठुमर बाईपास, खेडली तहसील व थाना खेडली जिला अलवर हाल तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय (सहायक स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर होना बताया। तत्पश्चात मनपुलिस निरीक्षक ने उक्त दोनो से परिवादी श्री राहुल यादव एवं उसके भाई नरेश यादव से अभी अभी ली गई 5,000 रूपये की रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो वे चुपचाप रहे। पूनः पूछने पर श्री केशवदेव ने अपनी कार की सीट पर राशि पडी हुई होना बताई। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने गवाह श्री बृजेश कुमार पटेल से उक्त कार की आगे की सीट की तलाशी लेने हेतु कहा तो गवाह श्री बृजेश कुमार पटेल ने उक्त कार की आगे की सीट पर 500–500 रूपये के कुछ नोट होना बताया। जिनको उठाकर उन्हे गिनकर बताने हेतु गवाह श्री बृजेश कुमार पटेल से कहा तो उसने कार की सीट से नोटो को उठाकर उनको गिनकर उसमे 500–500 रूपये के 09 नोट कुल राशि 4,500 रूपये होने के बारे मे बताया। इस पर उक्त राशि को यथावत स्थिति मे गवाह श्री बृजेश पटेल के पास सुरक्षित रखवाकर उक्त दोनो आरोपीगण श्री केशव देव, तकनिकी सहायक एवं श्री प्रमोद कुमार को हमराह जाब्ता, दोनो गवाहान एवं परिवादी सहित हमराह लेकर कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली मे स्थित सहायक अभियन्ता के चैम्बर मे लेकर आया तथा उक्त कार को मन् पुलिस निरीक्षक के कहेनुसार श्री हरीश कुमार कानि. 503 मौके से चलाकर हमराह लेकर उक्त कार्यालय मे हाजीर आया। उक्त दोनो आरोपीगण श्री केशव देव, तकनिकी सहायक एवं श्री प्रमोद कुमार तकनिकी सहायक, दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम सदस्य सहित उक्त चैम्बर मे बैठाया गया। तत्पश्चात श्री केशवदेव तकनिकी सहायक को परिवादीगणो से कल दिनांक 24.1.2022 की मांगी गई एवं आज दिनांक 25.1.2022 को ली गई रिश्वत राशि लेने के बारे मे पूछा तो श्री केशव देव, तकनिकी सहायक ने बताया कि दिनांक 18.1.2022 को श्री हिम्मत सिंह परिहार सहायक अभियन्ता, मुझे, प्रमोद कुमार एवं कुलदीप तकनिकी सहायक को अपने साथ लेकर बिजली चोरी की चैकिंग कार्यवाही करने हेतु कार्यालय की बोलेरो कार से ग्राम सहजपुरा, दारोदा गये थे, जहाँ पर श्री हिम्मत सिंह परिहार सहायक अभियन्ता द्वारा करीबन 10–12 स्थानो पर बिजली चोरी पकडी थी। उन स्थानो की फोटो श्री हिम्मत सिंह परिहार सहायक अभियन्ता ने मेरे मोबाईल से खिचवाई थी। इसी प्रकार ग्राम दारोदा मे करीबन 5–6 स्थानो पर बिजली चोरी पकडी थी। उन स्थानो की फोटो श्री हिम्मत सिंह परिहार सहायक अभियन्ता ने मेरे मोबाईल से खिचवाई थी। उसके बाद हम उक्त कार्यालय मे आ गये थे। उसके बाद मे श्री हिम्मत सिंह परिहार, सहायक अभियन्ता ने मेरे मोबाईल से करीबन 5–6 स्थानो पर पकडी गई बिजली चोरी की फोटो उन्होने अपने लैपटॉप मे ले ली थी। उसके बाद मे दिनांक 24.1.2020 को श्री प्रमोद कुमार तकनिकी सहायक के रिश्तेदारी मे कोई मौत होने के कारण वह वहाँ पर जाते वक्त मुझे कहकर गया था कि मेरा दोस्त श्री नरेश यादव आयेगा जिनके घर बिजली चौरी पकडी है उससे पैसों की बात कर लेना मै उनकी वी.सी.आर श्री हिम्मत सिंह परिहार, सहायक अभियन्ता से नही भरने हेतु निवेदन कर दूंगा। कल दिनांक 24.1.2022 को नरेश यादव एवं राहुल यादव करीबन 6.00 –6.30 बजे शाम को मेरे पास यहाँ कार्यालय मे आये और मेरे से मिलकर अपनी वी.सी.आर. के बारे मे बातचीत की थी तब मैने इनसे कोई पैसे नही मांगे थे। आज अभी कुछ देर पहले मै अपनी कार से बाजार मे गया हुआ था, तब श्री प्रमोद कुमार तकनिकी सहायक ने मुझे फोन करके अपने पास कार्यालय मे बुलाया। इस पर मै अपनी कार से कार्यालय मे आ रहा था कि कार्यालय के बाहर ही स्थित श्री कृष्णा ऑफसैट प्रिन्टर्स खेडली के बाहर श्री प्रमोद कुमार मुझे नरेश यादव एवं श्री राहुल यादव सहित मिला। प्रमोद कुमार ने मेरी कार मे बैठकर नरेश यादव से कहा कि केशव को पैसे दे दो। इस पर नरेश यादव ने मुझे 500–500 रूपये के 10 नोट दिये तो मै उन नोटो को अपने हाथो से गिन रहा था कि नरेश यादव ने कहा कि आप लोगो ने गोविन्द से तो 4,000 रूपये ही लिये है। इस पर प्रमोद तकनिकी सहायक ने मुझे कहा कि इनको 500 रूपये वापस लौटा दो, जिस पर मैने नरेश यादव को एक नोट 500 रूपये वापस लौटा दिया। इस पर नरेश यादव एवं राहुल यादव हमारी कार से थौडी दूरी पर चले गये और आप लोगो को अपने साथ लेकर वापस हमारी कार के पास आ गये तब मै नोटो को प्रमोद कुमार को देने ही वाला था कि आपने अपना परिचय दिया तो मैने नोटो को अपनी कार की आगे की सीट पर रख दिये। नरेश यादव से यह 4500 रूपये की राशि मैने प्रमोद कुमार के कहने पर उसकी वी.सी.आर. नही भरवाने की ऐवज मे ली है। तत्पश्चात श्री प्रमोद कुमार तकनिकी सहायक ने बताया कि दिनांक दिनांक 18.1.2022 को श्री हिम्मत सिंह परिहार सहायक अभियन्ता, मुझे, केशव देव, तकनिकी सहायक एवं कुलदीप तकनिकी सहायक को अपने साथ लेकर बिजली चोरी की चैकिंग कार्यवाही करने हेतु कार्यालय की बोलेरो कार से ग्राम सहजपुरा, दारोदा गये थे, जहाँ पर श्री हिम्मत सिंह परिहार सहायक अभियन्ता द्वारा करीबन 10–12 स्थानो पर बिजली चोरी पकडी थी। उन स्थानो की फोटो श्री हिम्मत सिंह परिहार सहायक अभियन्ता ने केशव देव, तकनिकी सहायक से उसके मोबाईल मे खिचवाई थी। इसी प्रकार ग्राम दारोदा मे करीबन 5 –6 स्थानो पर बिजली चोरी पकडी थी। उन स्थानो की फोटो श्री हिम्मत सिंह परिहार सहायक अभियन्ता ने केशव देव, तकनिकी सहायक से उसके मोबाईल से खिचवाई थी। उसके बाद हम कार्यालय मे आ गये थे। उसके बाद नरेश यादव मेरे पास आया और उसने कहा कि हमारी वी.सी.आर. मत भरवाना। इस पर मैने कहा कि यार आप लोग केशव देव, तकनिकी सहायक से बात करना। उसके बाद मे दिनांक 24.1.2022 को मेरी चचेरी साली की मौत होने के कारण मै वहाँ पर चला गया था। मैने इनसे कोई पैसे नही मांगे थे। आज अभी कुछ देर पहले नरेश यादव एवं राहुल यादव मेरे

पास कार्यालय मे आये और इन्होने केशव देव, तकनिकी सहायक से मिलने के लिये कहा। केशव देव, तकनिकी सहायक कार्यालय मे नही था तब मैने अपने मोबाईल से केशव देव, तकनिकी सहायक के मोबाईल पर बातचीत की तो उसने अपने आपको बाजार मे होना बताया। इस पर मैने उसको कहा कि यार यह नरेश यादव एवं राहुल यादव आये है आपसे मिलने के लिये, तब उसने कहा कि मै अभी आ रहा हूँ। इस पर मै इन दोनो को अपने साथ लेकर कार्यालय के बाहर गया तो श्री कृष्णा ऑफसैट प्रिन्टर्स खेडली के बाहर केशव देव, तकनिकी सहायक अपनी कार से आया। मै भी उक्त कार मे पीछे की सीट पर बैठ गया। नरेश यादव ने केशव देव, तकनिकी सहायक को कुछ पैसे निकाल कर दिये। नरेश यादव ने किस बात के केशव देव, तकनिकी सहायक को पैसे दिये थे, इस बारे मे मुझे कोई जानकारी नही है। नरेश यादव ने पैसे देते वक्त केशव देव, तकनिकी सहायक से वी.सी.आर. के बारे मे बातचीत जरूर की थी। केशव देव, तकनिकी सहायक ने नरेश यादव द्वारा दी गई राशि को गिनकर उसमे से एक 500 रूपये का नोट नरेश यादव को वापस लौटाया था। इस पर उक्त दोनो के कथनो के बारे मे परिवादी श्री राहुल यादव से पूछा गया तो उसने बताया ये दोनो झूंठ बोल रहे है। ये दोनो दिनांक 18.1.2022 को हमारे गाँव मे ए.ई.एन. साहब के साथ गये थे और यह हमारे घर पर लगे बिजली कनेक्शन की एवं गाँव मे कईयों के घरो पर लगे विधुत कनेक्शनो की फोटो खिचकर लाये थे। उसके बाद मै दिनांक 21.1.2022 को अपने ताऊजी के लडके नरेश कुमार को अपने साथ लेकर कार्यालय सहायक अभियन्ता आया और प्रमोद कुमार लाईनमैन से मिले तो उसने कहा कि यार इनकी आफ लाईन वी.सी.आर. भरने के लिये ए.ई.एन. साहब कह रहे है, यदि आप कुछ करो तो मै उसको रूकवा दूंगा। इस पर नरेश यादव ने पूछा कि कितना करना पडेगा तब प्रमोद कुमार ने कहा कि 5,000 रूपये केशवदेव, तकनिकी सहायक को दे देना और कल आ जाना मै आपकी उससे बात भी कर दूंगा। इस पर कल नरेश यादव आपके कार्यालय का टेप लेकर मुझे एवं आपके कार्यालय के श्री सियाराम को अपने साथ लेकर खेडली आये तब मै एवं सियाराम कार्यालय के बाहर ही रूक गये थे और नरेश यादव ने इस कार्यालय मे आकर केशवदेव से बातचीत करके वापस मेरे पास आकर बताया कि प्रमोद तो आज उसकी साली की मौत होने से अपने ससूराल गया हुआ है तथा केशवदेव लाईनमैन से बातचीत हुई है उसने वी.सी.आर.नही भरवाने के लिये 4000–5000 रूपये रिश्वत के लेने को कहा है। इसके बाद आज अभी कुछ देर पहले मै एवं नरेश यादव यहां कार्यालय मे आये तो हमे केशवदेव कार्यालय मे नही मिला प्रमोद ही कार्यालय मे मिला। जिससे हमने केशव देव, तकनिकी सहायक लाईनमैन के बारे मे पूछा तो उसने अपने मोबाईल से केशव देव, तकनिकी सहायक से बातचीत करके उसको बाजार जाना बताया। इस पर प्रमोद लाईनमैन हम दोनो को अपने साथ लेकर कार्यालय से बाहर चले गये। कुछ देर बाद केशवदेव लाईनमैन अपनी कार से श्री कृष्णा ऑफसैट प्रिन्टर्स की दुकान के सामने आया तो प्रमोद लाईनमैन उसकी कार की पीछे की सीट पर बैठते हुए मेरे भाई नरेश से कहा कि पैसे चुपचाप केशव देव, लाईनमैन को दे दो। इस पर मैने अपने पास रखी हुई पाऊडर युक्त रिश्वत राशि 5,000 रूपये अपनी जेब से निकाल कर केशव देव, तकनिकी सहायक लाईनमैन को देने के लिये मेरे भाई श्री नरेश यादव को दिये तो उसने उक्त श्री केशवदेव लाईनमैन को दे दी जो उसने अपने बांये हाथ मे लेकर उन नोटो को गिनने लगा तब मेरे भाई नरेश यादव ने उनको कहा कि आपने सब लोगो की तो चार हजार रूपये के हिसाब से सैटलमैन्ट किया है। इस पर प्रमोद कुमार ने केशव देव, तकनिकी सहायक से 500 रूपये वापस देने के लिये कहा जिस पर केशवदेव ने एक नोट 500 रूपये का वापस मेरे भाई नरेश यादव को वापस लौटा दिया, जो अभी उसके पास ही है तथा शेष रिश्वत राशि 4500/– रू. को केशवदेव अपने हाथो से उक्त कार मे ड्राईवर सीट पर बैठा हुआ गिन रहा था कि हम दोनो भाईयों ने उनसे कुछ दूरी पर जाकर आपको ईशारा कर दिया था, जिस पर आप हमे अपने साथ लेकर इनके पास आये तब केशवदेव लाईनमैन ने 4500/– रू. अपने हाथो मे लिये हुए थे। इस पर श्री नरेश यादव ने परिवादी राहुल यादव के उक्त कथनो की ताईद करते हुए बताया कि कल दिनांक 24.1.2022 को आपके कार्यालय से टेप लेकर मै, राहुल एवं सियाराम यहाँ पर आये तो राहुल एवं सियाराम जी तो इस कार्यालय के बाहर ही रूक गये। मै कार्यालय के अन्दर आया तब मुझे केशव देव, तकनिकी सहायक लाईनमैन ही कार्यालय मे मिला तथा प्रमोद कुमार लाईनमैन की साली की मौत होने से उसका वहा पर जाने के बारे मे मालुमात हुआ था। मैने केशव देव, तकनिकी सहायक से राहुल के घर की वी. सी.आर. के बारे मे बातचीत की तो उसने मुझे कहा कि आप 4–5 हजार रूपये दे देना आपकी वी.सी. आर. नही भरवाऊंगा। इस पर मैने अपने मोबाईल से राहुल यादव की केशव देव, तकनिकी सहायक से भी इस बाबत बातचीत करवाई थी। उसके बाद मै मेरे एवं केशव देव, तकनिकी सहायक लाईनमैन के बीच जो बाते हुई थी उनको टेप करके राहुल एवं सियाराम को अपने साथ लेकर वापस आपके कार्यालय मे आ गये। आज अभी हम दोनो भाई इस कार्यालय मे आये तो हमे प्रमोद लाईनमैन मिला जिससे हमने केशव देव, तकनिकी सहायक के बारे मे पूछा तो उसने अपने मोबाईल से केशव देव, तकनिकी सहायक से बात करके हमे बताया की वह अभी बाजार मे गया हुआ है। इस पर प्रमोद हम दोनो भाईयों को अपने साथ लेकर इस कार्यालय से बाहर चला गया तो कुछ देर बाद ही केशवदेव अपनी सैन्ट्रो कार से आया और श्री कृष्णा ऑफसैट प्रिन्टर्स खेडली के सामने रूका तब प्रमोद कुमार लाईनमैन ने उक्त कार की पीछे की सीट पर बैठते हुए मुझ से कहा कि पैसे चुपचाप केशव देव, लाईनमैन को दे दो। इस पर मैने राहुल के पास रखे हुए पाऊडर लगे 5,000 रूपये को लेकर केशव

[redacted]

देव, तकनिकी सहायक लाईनमैन को दिये तो उसने अपने बांये हाथ मे लेकर नोटो को गिनने लग गया तब मैने केशव देव, लाईनमैन एवं प्रमोद कुमार लाईनमैन से कहा कि आपने सब लोगो की तो चार हजार रूपये के हिसाब से सैटलमैन्ट किया है। इस पर प्रमोद कुमार ने केशव देव, तकनिकी सहायक से कहा कि इनको 500 रूपये वापस दे दो जिस पर केशव देव, तकनिकी सहायक ने मुझे एक 500 रूपये का नोट वापस दे दिया, जो अभी मेरे पास है। उसके बाद हम दोनो भाईयों ने उनसे कुछ दूरी पर जाकर आपको ईशारा कर दिया था, जिस पर आप हमे अपने साथ लेकर इनके पास आये तब केशवदेव लाईनमैन ने 4500/– रू. अपने हाथो मे लिये हुए था। तत्पश्चात कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली के कार्यालय मे रखे हुए कैम्पर से एक साफ बोतल मे साफ पानी लेकर ट्रेप बॉक्स मे रखे हुए कॉच के दो साफ गिलासों को निकलवाकर उन्हे साफ पानी से धुलवाकर उनमे साफ पानी भरवाकर उनमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर सभी सम्बन्धितों को दिखाया गया, जिसे सभी ने देखकर उक्त दोनों गिलासों के घोल का रंग साफ होना स्वीकार किया। इसके बाद एक गिलास के घोल में आरोपी श्री केशवदेव तकनिकी सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो दाहिने हाथ की अगुलियों के धोवन का रंग गदमैला हल्की गुलाबी झांयी लिये हुए हो गया। जिसे सम्बन्धितों को दिखाया गया तो उन्होने धोवन का रंग गदमैला हल्की गुलाबी झांयी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को कॉच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया जाकर चिट चस्पाकर उन पर दोनों गवाहान व परिवादीगण श्री राहुल यादव, नरेश यादव एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर धोवन की शीशीयों पर मार्क R-1, R-2 अंकित कर कब्जे ए.सी.बी लिया गया। तत्पश्चात दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री केशवदेव तकनिकी सहायक के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो बांये हाथ की अगुलियों के धोवन का रंग हल्का गदमैला गुलाबी हो गया। जिसे सम्बन्धितों को दिखाया गया तो उन्होने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को कॉच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया जाकर चिट चस्पाकर उन पर दोनों गवाहान व परिवादीगण एवं दोनो आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर धोवन की शीशीयों पर मार्क L-1, L-2 अंकित कर कब्जे ए.सी.बी लिया गया। तत्पश्चात मौके पर सैन्ट्रो कार की आगे की सीट से गवाह श्री बृजेश कुमार पटेल से उठवाई गई 4,500/– रूपये की रिश्वत राशि जो उसके पास रखवाई गई थी, के नोटो के नम्बरो का पूर्व की मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाया गया तो दोनो गवाहान ने बरामदशुदा नोटो के नम्बरो का हुबहु मिलान होना बताया। इस पर बरामदशुदा नोटो का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित करवाया जाकर उक्त बरामद शुदा 4,500 रूपये के नोटो के नम्बरो का उपरोक्त नम्बरो से पुनः मिलान करवाकर नोटो को एक सफेद कागज की चिट लगा कर उस कागज पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर बरामदशुदा राशि 4500 रूपये के नोटो को वजह सबूत कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स से एक कांच के गिलास को निकलवाकर उसे साफ पानी से धुलवाकर उसमे साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार करवाया जाकर सभी सम्बन्धितों को दिखाया गया, तो सभी ने गिलासों के घोल का रंग साफ होना स्वीकार किया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक साफ रूई लेकर उसको उक्त गिलास के घोल में डूबोकर रूई के फौवे को आरोपी श्री केशव देव, तकनिकी सहायक की सैन्ट्रो कार नं. आर जे 02 सी ए 6511 के आगे की सीट के जिस स्थान से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, उस स्थान पर फेरकर उसको पूनः गिलास के घोल मे डूबोकर उसका धोवन लिया तो सीट कवर के धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे हाजरीन को दिखया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को कॉच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया जाकर चिट चस्पाकर उन पर दोनों गवाहान व परिवादीगण श्री राहुल यादव, नरेश यादव एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर धोवन की शीशीयों पर मार्क S-1, S-2 अंकित कर कब्जे ए.सी.बी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री केशव देव, तकनिकी सहायक लाईनमैन की सैन्ट्रो कार नं. आर जे 02 सी ए 6511 की आगे की सीट पर लगे कवर को उतार कर उसके जिस स्थान से रिश्वत राशि 4500/– रू. बरामद हुए थी, उस स्थान पर स्याही से गोला बनाकर उस गोले मे परिवादीगण, गवाहान एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने हस्ताक्षर कर उक्त सीट कवर को सुरक्षित एक कपडे की थैली मे रखकर सीव्ड मोहर करके उस पर मार्क S अंकित कर कब्जे ए.सी.बी लिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री नरेश यादव को आरोपी श्री केशव देव, तकनिकी सहायक द्वारा वापस दिये गये 5,00 रूपये की राशि के नोट को पेश करने हेतु कहा गया तो उसने अपने पास से एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 7 KW 295559 निकाल कर पेश किया, जिसके नम्बर का मिलान फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नम्बरो से करने पर उस नोट के नम्बर का मिलान होने पर उक्त 5,00 रूपये के नोट पर एक सफेद कागज की चिट लगा कर उस कागज पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पांच सौ रूपये के नोट को वजह सबूत कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री केशव देव, तकनिकी सहायक से परिवादी के कार्य बाबत पूछा तो श्री केशव देव, तकनिकी सहायक ने बताया कि दिनांक 18.1.2022 को मै, श्री हिम्मत सिंह परिहार सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली के साथ ग्राम सहजपुरा गया था और वहॉं पर उनके कहने पर मैने बिजली चोरी की विजिलेंस चेकिंग के दौरान ग्राम सहजपुरा मे बिजली चोरी करने वाले कई उपभोक्ताओ द्वारा की जा रही बिजली चोरी की फोटो अपने एन्ड्रोरोड

[redacted]

मोबाईल फोन मे खिची थी, जिसमे अन्य उपभोक्ताओ सहित बच्चन सिंह के मकान पर लगे मीटर व पी. एस.एल.की ली हुई फोटो अपने उक्त मोबाईल फोन मे मौजूद होना बताते हुये अपना उक्त मोबाईल फोन मन पुलिस निरीक्षक को पेश किया, जिसका पृथक से अवलोकन करके जब्ती एवं फोटो प्रिन्ट की कार्यवाही जरिये फर्द की गई। परिवादीगण श्री नरेश यादव, श्री राहुल यादव एवं आरोपीगण श्री केशव देव, तकनिकी सहायक लाईनमैन एवं श्री प्रमोद कुमार लाईनमैन से अलग – अलग एवं एक साथ करके आपस मे कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो उक्त सभी ने ना तो आपसी रंजिश होना या ना ही रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने बाबत बताया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल मिसल की गई।

दिनांक 25.01.2022 को समय 07.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री राहुल यादव व श्री नरेश यादव की निशादेही पर ट्रैप कार्यवाही स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका घटना स्थल तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 08.00 पी0एम0 पर आरोपी श्री केशव देव जाटव, तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय एवं श्री प्रमोद कुमार बैरवा, तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय, जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री राहुल यादव व श्री नरेश यादव से रिश्वत राशि प्राप्ती के समय काम में ली गई सेन्ट्रो कार नम्बर आरजे–02–सीए–6511 जिसकी ड्राईवर सीट के बगल की आगे वाली सीट पर से रिश्वत राशि बरामद हुई है, के जरिये फर्द जब्त किया गया। जिसकी पृथक से फर्द तैयार कर संलग्न पत्रावली की गई।

दिनांक 25.01.2022 को समय 08.30 पी0एम0 पर आरोपी श्री केशव देव जाटव तकनिकी सहायक, ग्रेड द्वितीय फीडर प्रभारी खेडली, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर द्वारा बहैसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपने पदीय कर्त्तव्यो मे भ्रष्टतम आचरण अपना कर अपने साथी श्री प्रमोद कुमार तकनिकी सहायक से आपसी मिलीभगत कर षडयंत्र रचकर परिवादी श्री राहुल यादव एवं श्री नरेश यादव से दिनांक 24.01.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान उसके मकान पर लगे विधुत मीटर एवं उसकी पी.एस.एल. (पैरलर सर्वीस लाईन) की खिंची हुई फोटो के आधार पर विधुत चोरी की वी.सी.आर. नही भरवाने की एवज मे अपने स्वंय एवं अपने साथी प्रमोद कुमार के लिये 5,000 रूपये की रिश्वत राशि की माँग करना एवं अपनी इसी मांग के क्रम मे आज दिनांक 25.01.2022 को परिवादी श्री राहुल यादव एवं नरेश यादव से 5,000/– रूपये की रिश्वत राशि माँग कर ग्रहण करना एवं श्री नरेश यादव के निवेदन करने पर अपने साथी श्री प्रमोद कुमार के कहने पर प्राप्त की गई राशि मे से 5,00 रूपये का एक नोट सहपरिवादी श्री नरेश यादव को वापस लौटाने एवं शेष 4,500 रूपये की रिश्वत राशि इनकी सैन्ट्रो कार नं. आर जे 02 सी ए 6511 की आगे की बांयी सीट से बरामद होने से आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120बी भा0द0सं0 के तहत कारित होना पाया जाने पर आरोपी श्री केशव देव जाटव पुत्र श्री रामसिंह जाटव, उम्र 31 साल निवासी बडा मौहल्ला भुसावर, तहसील व थाना– भुसावर जिला भरतपुर हाल तकनिकी सहायक, ग्रेड द्वितीय फीडर प्रभारी खेडली, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर को जुर्म से आगाह कर हस्ब कायदा अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0द0सं0 मे गिरफ्तार किया गया। उक्त की फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से तैयार कर संलग्न पत्रावली की गई।तत्पश्चात समय 09.00 पी0एम0 पर आरोपी श्री प्रमोद कुमार बैरवा तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय (सहायक स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर द्वारा बहैसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपने पदीय कर्त्तव्यो मे भ्रष्टतम आचरण अपना कर अपने साथी श्री केशव देव तकनिकी सहायक से आपसी मिलीभगत एवं षडयंत्र रचकर परिवादी श्री राहुल यादव एवं श्री नरेश यादव से अपने साथी श्री केशव देव, लाईनमैन को अपने स्वंय एवं उसके लिये रिश्वत राशि देने हेतु परिवादीगण से कहना एवं आज दिनांक 25.01.2022 को परिवादी श्री राहुल यादव एवं नरेश यादव से अपने समक्ष आरोपी श्री केशव देव को 5,000/– रूपये की रिश्वत राशि दिलवाना एवं सहपरिवादी श्री नरेश यादव तकनिकी सहायक के निवेदन पर अपने साथी श्री केशव देव लाईनमैन से 5,00 रूपये सहपरिवादी श्री नरेश यादव को वापस दिलवाने के कृत्य मे शामिल होना पाया जाने से आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120बी भा0द0सं0 के तहत कारित होना पाया जाने पर आरोपी श्री प्रमोद कुमार बैरवा पुत्र श्री कपूर चन्द बैरवा, उम्र 35 साल, निवासी वार्ड नं. 19, खेडली– कठुमर बाईपास, खेडली तहसील व थाना खेडली जिला अलवर हाल तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय (सहायक स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर को जुर्म से आगाह कर हस्ब कायदा अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0द0सं0 मे गिरफ्तार किया गया। उक्त की पृथक – पृथक फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी तैयार कर संलग्न पत्रावली की गई।

दिनांक 25.01.2022 को समय 11.45 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, मय परिवादी राहुल यादव, श्री नरेश यादव मय श्री महेन्द्र कुमार, उप अधीक्षक पुलिस, मय ए0सी0बी0 जाब्ता मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री केशव देव जाटव, तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय, एवं श्री प्रमोद कुमार बैरवा, तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर मय जब्तशुदा रिश्वती

[redacted]

राशि व आरोपी श्री केशव देव जाटव के दोनों हाथों एवं सेन्ट्रो कार के सीट कवर के धोवन की सील्डशुदा शीशीयों एवं सील्डशुदा सीट कवर के पैकेट एवं मौके पर तैयार किये गये फर्दात के हमराह ले गये वाहनों से एवं श्री सियाराम कानि0 430 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री केशव देव के कब्जे की जब्तशुदा सेन्ट्रो कार से हमराह लेकर कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, खेडली, जिला अलवर से रवाना होकर समय 02.00पी.एम. पर ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर पर आया तथा जब्त/सील्डशुदा आर्टिकल्स व रिश्वती राशि एवं ट्रेपबॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर को कार्यालय में रखवाया गया, जब्तशुदा सेन्ट्रो कार को कार्यालय में सुरक्षित खडी करवाया गया, जिसे सुरक्षार्थ आईन्दा पुलिस थाना शिवाजीपार्क, अलवर में जमा करवाया जावेगा तथा गिरफ्तारशुदा दोनों आरोपीगण को रात्रि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना शिवाजीपार्क, अलवर की हवालात बन्द करवाया गया।

दिनांक 26.01.2022 को समय 03.30 ए.एम.पर दिनांक 25.01.2022 को रिश्वत लेन–देन के क्रम में परिवादी के भाई नरेश यादव की श्री प्रमोद कुमार बैरवा, तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय, जयपुर डिस्कॉम, खेडली से हुई मोबाईल वार्ताओं के एवं रिश्वत लेन–देन के समय परिवादी राहुल यादव, नरेश यादव एवं आरोपी श्री प्रमोद कुमार बैरवा, तकनिकी सहायक व श्री केशव देव जाटव, तकनिकी सहायक, जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर के मध्य रूबरू हुई वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं तीन सीडी तैयार की गई। तैयारशुदा सीडीयों पर क्रमशः मार्क "बी–1", "बी–2", एवं "बी–3" अंकित किया गया। मार्क शुदा सीडीयों पर दोनों गवाहान व परिवादी श्री राहुल यादव व श्री नरेश यादव के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मार्क शुदा सीडी–बी–1 तथा बी–2 को पृथक पृथक प्लास्टिक के सी0डी0 कवर में सुरक्षित रखकर, कवर सहित सीडीयों को पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर पर भी मार्का बी–1, बी–2 अंकित किया जाकर सिलचिट चस्पा कर गवाहान एवं दोनों परिवादीगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे लिया गया तथा मार्क शुदा सीडी बी–3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 26.01.2022 के समय 09.30 ए.एम.पर आरोपी श्री केशव देव जाटव, तकनिकी सहायक, ग्रेड द्वितीय फीडर प्रभारी खेडली, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर ने अपने पास से दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 25.1.2022 को अपना एन्ड्रोएड मोबाईल फोन SAMSUNG GALAXY F-62, IMEI 350641035740700 /351945215740706 पेश किया था। जिसका अवलोकन किया तो फोन मे इन्स्टॉल ऐप के कैमरा (Internal storage / DCIM/ Camera) मे कुल 1672 फोटों खिचे हुए होना पाई गई। जिनमे से दिनांक 18.01.2022 को परिवादीगण के ग्राम सहजपुरा से संबंधित कुल 48 फोटो होने एवं इन फोटों मे से 05 फोटो परिवादी श्री राहुल यादव के मकान से सम्बन्धित खिंची हुई होने की पहचान परिवादीगण द्वारा की जाने पर उक्त 05 फोटों के रंगीन फोटो प्रिन्ट निकलवाकर उन पर परिवादीगण, दोनो गवाहान एवं आरोपीगणों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिये गये तथा आरोपी श्री केशव देव, तकनिकी सहायक के उक्त मोबाईल फोन मे खिची हुई फोटों को यथावत स्थिति मे संरक्षित रखते हुए उक्त मोबाईल फोन पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। जिसकी पृथक से फर्द जब्ती मोबाईल फोन आरोपी केशव देव एवं डवलप रंगीन फोटो प्रिन्ट रिकार्ड तैयार दिनांक 26.01.2022 कर संलग्न पत्रावली की गई। बाद कार्यवाही समय 10.30 ए.एम.पर रूबरू मौतबिरान एवं परिवादीगण उक्त कार्यवाही मे उपयोग ली गई ब्राशसील नं. 29 का नमूना फर्द पर अंकित कर उसे नष्ट किया गया। तत्पश्चात समय 10.45 ए.एम.पर परिवादीगण श्री राहुल यादव एवं श्री नरेश यादव को उनकी कार सहित ब्यूरों कार्यालय अलवर से रवाना मसकन के लिये किया गया तथा साथ ही दोनों गवाहान एवं श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस को भी ब्यूरों कार्यालय अलवर से रवाना किया गया तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त/ सील्ड शुदा समस्त आर्टिकल्स/रिश्वती राशि/मोबाईल फोन जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपीगण श्री केशव देव जाटव पुत्र श्री रामसिंह जाटव, हाल तकनिकी सहायक, ग्रेड द्वितीय फीडर प्रभारी खेडली, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर एवं श्री प्रमोद कुमार बैरवा पुत्र श्री कपूर चन्द बैरवा, हाल तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय (सहायक स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर द्वारा बहैसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुए पद का दुरूपयोग कर आपसी मिलीभगत एवं आपराधिक षडयन्त्र रचकर परिवादी श्री राहुल यादव से उसके निवास स्थान पर लगे विधुत कनेक्शन की दिनांक 18.1.2022 को फोटो खिचकर उनके विरूद्ध विधुत चोरी की वी.सी.आर. भरवाने की धमकी देते हुए वी.सी.आर. नही भरवाने की ऐवज मे दिनांक 24.1.2022 को कराये गये रिश्वत की माँग के गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी श्री केशव देव, तकनिकी सहायक द्वारा श्री नरेश यादव से 5,000 रूपये रिश्वत की माँग करना एवं अपनी इसी माँग के क्रम मे दिनांक 25.1.2022 को आरोपी श्री केशव देव, तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय एवं श्री प्रमोद कुमार बैरवा तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर द्वारा आरोपी प्रमोद कुमार बैरवा तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय की मौजूदगी मे परिवादीगण से 5,000 रूपये की रिश्वत राशि माँग कर अपने हाथ से ग्रहण करने एवं परिवादी नरेश यादव के निवेदन पर आरोपी श्री प्रमोद कुमार तकनिकी सहायक के कहेअनुसार आरोपी श्री केशव देव तकनिकी सहायक द्वारा प्राप्त की गई राशि मे से 500 रूपये का एक नोट परिवादी श्री नरेश यादव को लौटाया जाना एवं प्राप्त की गई रिश्वत राशि 4500/–रूपये आरोपी श्री केशव देव, तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय, कार्यालय सहायक

अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर के द्वारा अपने कार की आगे की सीट की बांयी साईड पर रखी हुई उक्त दोनो आरोपीगण की मौजूदगी मे बरामद होने से उक्त दोनो आरोपीगण श्री केशव देव जाटव पुत्र श्री रामसिंह जाटव, हाल तकनिकी सहायक, ग्रेड द्वितीय फीडर प्रभारी खेडली एवं श्री प्रमोद कुमार बैरवा पुत्र श्री कपूर चन्द बैरवा, हाल तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय (सहायक स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भा.द.सं. के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण श्री केशव देव जाटव तकनिकी सहायक, ग्रेड द्वितीय फीडर प्रभारी खेडली, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर एवं श्री प्रमोद कुमार बैरवा तकनिकी सहायक ग्रेड द्वितीय (सहायक स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भा.द.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

(प्रेम चन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अलवर प्रथम, अलवर।

[redacted]

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री केशव देव जाटव, तकनीकी सहायक ग्रेड द्वितीय फीडर प्रभारी खेडली, एवं 2.श्री प्रमोद कुमार बैरवा, तकनीकी सहायक ग्रेड द्वितीय(सहायक स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियंता(पवस) जयपुर डिस्कॉम खेडली, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 22/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.1.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 187-91 दिनांक 27.1.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता(पवस) जयपुर डिस्कॉम, अलवर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

27.1.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।